

(278)

(402)

(5)



न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर  
कैम्परी का सभामण्डा रीवा (मुज़फ्फ़रगढ़)  
पुनरीक्षण प्र०क०-...../14-15

निगरानी 454-III-15

प्रतीक्षा दिनांक 13-2-15  
प्रतीक्षा क्रमांक 4593  
विलोपित विलोपित  
चन्द्रमणि तिवारी तनय् रामप्रमोद तिवारी आयु 30 वर्ष निवासी  
ग्राम पोस्ट लखहा तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना  
म०प्र० वर्तमान 172 फील्ड रेजीमेन्ट एल०ओ०सी० फारवर्ड  
कुपवाडा जम्मू एण्ड कश्मीर.....निगराकार  
बनाम

- 47  
13-2-15
- 1- शासन म०प्र०
  - 2- विनोद कुमार तिवारी
  - 3- कृष्णदत्त तिवारी
  - 4- रामनिवास तिवारी
  - 5- बब्लू तिवारी तीनों के पिता रामविश्वास तिवारी
  - 6- रामविष्णु तिवारी
  - 7- कृष्णदत्त तिवारी
  - 8- राजेन्द्र तिवारी
  - 9- सच्चिदानन्द तिवारी सभी के पिता स्व० रामऔतार तिवारी
  - 10- रामविश्वास तिवारी तनय् स्व० हनुमान प्रसाद तिवारी सभी  
निवासी ग्राम पोस्ट लखहा तहसील रामपुर बाघेलान जिला  
सतना म०प्र०.....गैरनिगराकारगण

पुनरीक्षण विलोप आदेश अधीक्षक भू  
अभिलेख सतना जिला सतना के  
प्र०क०-691/14 मे पारित आदेश

दिनांक 17/06/14

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50  
म०प्र०भू०रा०सं०-1959

मान्यवर,  
निगराकार निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:-

प्रकरण के तथ्य

- 1- यह कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा लखहा  
तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म०प्र० स्थित आराजी  
नं०-962/2, 939/2 का निगराकार भूमि स्वामी है यह

—2

(२७८)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश रावालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मार्कर क्रमांक..... R. ४५४-तीर/१५ ..... जिला सतना

चटमारी तिथाई ..... विरुद्ध शास्त्र विनोद छुकात तिथाई वरोड़

1	2	3
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>जनार्दन गिराडी</u> अधिवक्ता द्वारा  <u>अधीसक भू-आवृद्ध तत्वात्</u> तहसील <u>रामछुट बाब्ये</u> के  प्रकरण क्रमांक <u>691/14</u> में पारित  आदेश दिनांक <u>17-6-14</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी  है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये  संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50  सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण  कलेक्टर <u>सतना</u> के न्यायालय को अंतरित किया  जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>30-1-19</u> को  कलेक्टर <u>सतना</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु  उपस्थित हो।</p>	

म  
सदस्य